

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

१[नियम 110 : अपील अधिकरण को अपील

- (1) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण में, अपील प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की जाएगी और अपीलार्थी को तुरंत अनंतिम पावती जारी की जाएगी :

परंतु अपील अधिकरण में अपील, सुसंगत दस्तावेजों के साथ, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में निर्देशिका रूप से तभी दाखिल की जा सकेगी, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, उस प्रभाव के लिए एक विशेष या साधारण आदेश जारी करके अनुज्ञात, और ऐसे मामले में, अपीलार्थी को तत्काल एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी :

- (2) धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन अपील अधिकरण में, प्रति-आपत्ति का ज्ञापन, यदि कोई हों प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा नियम 110 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)। प्रतिस्थापना के पूर्व यह इस प्रकार था:

नियम 110 : अपील अधिकरण को अपील

- (1) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में सुसंगत दस्तावेज के साथ अपील अधिकरण को अपील इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा जैसा रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किया जाए, सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।
- (2) अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में अपील अधिकरण को तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा।
- (3) अपील और तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा।

- (4) प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में अपील की हार्डकापी तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी और तत्पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी किया जाएगा :

परन्तु जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख होगी। **स्पष्टीकरण-**इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील को तभी फाइल किया माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है।

- (5) अपील फाइल करने या अपील प्रत्यावर्तन करने की फीस प्रत्येक एक लाख रुपए के कर या अन्तर्वलित इनपुट कर प्रत्यय या अन्तर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय के अन्तर अथवा अपील किए गए आदेश में अवधारित जुर्माना, फीस या शास्ति की रकम के लिए अधिकतम पच्चीस हजार रुपए के अध्याधीन, एक हजार रुपए होगी।
- (6) धारा 112 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होगी।"

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

परंतु प्रति—आपत्ति का ज्ञापन प्ररूप जीएसटी एपीएल—06 में निर्देशिका रूप में तभी दाखिल किया जा सकेगा, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बधनों के अधीन, उस संबंध में विशेष या साधारण आदेश जारी करके अनुज्ञात करें।

(3) अपील और प्रति आपत्तियों के ज्ञापन पर नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति से हस्ताक्षर किए जाएँगे।

(4) जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया गया है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने पर प्ररूप जीएसटी एपीएल—02 में अंतिम पावती, अपील संख्या दर्शाते हुए जारी की जाएगी और अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को उप—नियम (1) के अधीन अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा :
परंतु जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, वहां अपीलार्थी, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी एपीएल—05 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर उक्त आदेश की स्व—प्रमाणित प्रति प्रस्तुत या अपलोड करेगा और त्रुटियों, यदि कोई हों, के दूर किए जाने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती, प्ररूप जीएसटी एपीएल—02 में जारी की जाएगी और अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा :

परंतु जहां आदेश, की उक्त स्व—प्रमाणित प्रति, प्ररूप जीएसटी एपीएल—05 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के पश्चात प्रस्तुत या अपलोड की जाती है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती, प्ररूप जीएसटी एपीएल—02 में जारी की जाएगी और ऐसी स्व—प्रमाणित प्रति को प्रस्तुत या अपलोड करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा :

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रायोजनों के लिए, अपील तभी दाखिल मानी जाएगी जब अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती जारी कर दी जाए।

(5) अपील दाखिल करने या अपील प्रत्यास्थापित करने के लिए फीस प्रत्येक एक लाख रुपए के कर या निवेश कर प्रत्यय या कर या निवेश कर प्रत्यय में अंतर या उस आदेश में अवधारित जुर्माना, फीस या शास्ति की रकम के लिए एक हजार रुपए होगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, जो अधिकतम पच्चीस हजार रुपए और न्यूनतम पांच हजार रुपए तक होगी :

परंतु किसी आदेश के संबंध में अपील दाखिल करने के लिए फीस, जिसमें कर, ब्याज, जुर्माना, फीस या शास्ति की कोई माग सम्मिलित नहीं है, पांच हजार रुपये होगी।”

(6) धारा 112 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए अपील अधिकरण के समक्ष किए गए आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होगी।]
